



भारत का उच्चतम न्यायालय

॥



भारत का उच्चतम न्यायालय

भारत का उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायिक निकाय है।

इतिहास

रेगुलेशन एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई

1773

मद्रास उच्चतम न्यायालय

बम्बई उच्चतम न्यायालय

1800

1823

उच्च न्यायालय अधिनियम ने उच्च न्यायालयों का सृजन किया, उच्चतम न्यायालयों को समाप्त कर दिया

भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित भारतीय संघीय न्यायालय

1861

1935

1950

भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना (अनुच्छेद 124)

संरचना

- ⊕ **संख्या:** राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश समेत 34 न्यायाधीश
- ⊕ **योग्यता:** भारतीय नागरिक; 5 वर्ष के लिये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश/10 वर्ष के लिये अधिवक्ता/प्रतिष्ठित न्यायविद्
- ⊕ **कार्यकाल:** 65 वर्ष की आयु तक (जब तक वह इस्तीफा नहीं देता है/राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग नहीं लगाया जाता)
- ⊕ **वेतन:** संसद द्वारा निर्धारित
- ⊕ **महाभियोग:** राष्ट्रपति द्वारा, संसद के विशेष बहुमत से अनुमोदन पर

क्षेत्राधिकार

मूल, रिट, अपील और सलाहकारी क्षेत्राधिकार

- ⊕ **मूल:** सरकार और राज्यों के बीच विवाद (अनुच्छेद 131); संवैधानिक उपचार (अनुच्छेद 32)
- ⊕ **रिट:** मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिये रिट जारी करने के अधिकार (अनुच्छेद 139)
- ⊕ **उच्च न्यायालयों से अपील:**
 - ⊕ संवैधानिक मामले (अनुच्छेद 132)
 - ⊕ सिविल मामले (अनुच्छेद 133)
 - ⊕ आपराधिक मामले (अनुच्छेद 134)
 - ⊕ विशेष अवकाश (अनुच्छेद 136; **विवेकाधीन शक्ति**)
- ⊕ **सलाहकार:** राष्ट्रपति की सलाह (अनुच्छेद 143)

अन्य शक्तियाँ

अभिलेख न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, संवैधानिक व्याख्या आदि।

- ⊕ **अनुच्छेद 129:** अवमानना हेतु दंडित करने की शक्तियाँ
- ⊕ **अनुच्छेद 137:** उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों की समीक्षा
- ⊕ **अनुच्छेद 141:** उच्चतम न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं
- ⊕ **अनुच्छेद 142:** उच्चतम न्यायालय के आदेश और अध्यादेश लागू करने का अधिकार
- ⊕ **अनुच्छेद 147:** उच्चतम न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याता है

उच्चतम न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश

- **कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश:** आवश्यकतानुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
- **तदर्थ न्यायाधीश:** कोरम संबंधी मुद्दों के लिये मुख्य न्यायाधीश द्वारा अस्थायी रूप से नियुक्त
- **सेवानिवृत्त न्यायाधीश:** मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अस्थायी रूप से पुनः नियुक्त कर सकते हैं



Drishti IAS

और पढ़ें: [भारत का उच्चतम न्यायालय](#)

